275

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/12915-13062 दिनांक- 1/6/22

1. आयुक्त,
जयपुर/जोधपुर/अजमेर
विकास प्राधिकरण।

2. आयुक्त,
नगर निगम/परिषद,
समस्त राजस्थान।

3. सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त राजस्थान।

विषयः– धारा 69–ए के अन्तर्गत मार्गदर्शन बाबत।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 14 में निम्न निर्देश दिये गये हैः–

"नगर निगम/परिषद/पालिका के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित ऐसी अकृषि भूमि जिस पर आबादी बस चुकी है किन्तु भूमि प्राधिकरण/न्यास के नाम दर्ज है अथवा प्राधिकरण/न्यास द्वारा पट्टे दिये जा रहे है, किन्तु भूमि नगर निगम/परिषद/पालिका के नाम है, तो संबंधित जिला कलक्टर दोनों निकायों के अधिकारियों से विचार–विमर्श कर पट्टे प्राधिकरण/न्यास द्वारा दिये जायेगें अथवा नगर निगम/परिषद/पालिका द्वारा दिये जाने की सुनिश्चतता की जावेगी। तद्नुसार निकाय द्वारा प्राधिकरण/न्यास को सूचित करते हुये अथवा प्राधिकरण /न्यास द्वारा निकायों को सूचित करते हुए जैसी भी स्थिति हो उसकी डीम्ड एन.ओ.सी. मानते हुए परिपत्र दिनांक 27.09.2021 के बिन्दु 5 के अनुसार फ्री होल्ड के पट्टे दिये जा सकेगें।"

इस संबंध में संशोधित निर्देश दिये जाते है कि जयपुर/अजमेर/जोधपुर शहरों में प्राधिकरण के आयुक्त एवं नगर निगम के आयुक्त तथा अन्य शहरों में नगर परिषद के आयुक्त एवं नगर विकास न्यास के **सचिव आपस में क्षेत्र तय कर ले कि किस क्षेत्र में कौन पट्टे वितरित करेगें।**

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : PSKS/अभियान–21/डीएलबी/2021/13063-13076 दिनांक :- 1/6/22
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर ग्रेटर को उनके पत्रांक 136 दिनांक 28.04.2022 के संदर्भ में।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
7. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/PSKS2021/letter

Scanned by TapScanner